

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर

क : कोर्ट / रज. / 2017 / 6092

दिनांक : 2/8/11

5-5-1284/11

"आदेश"

तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के द्वारा रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अधीन प्रा. पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खेड़ी सालवा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 392, 408, 412, 423, 418, 422, 433, 440, 438, 470, 471, 472 राजकीय/निजि भूमि नौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया।

प्रा. पत्र के सम्बंध में पटवारी खेड़ी सालवा व भू. अ. निरीक्षक सालवाखुर्द की रिपोर्ट एवं संलग्न रेकर्ड की प्रामाणिक प्रति के आधार पर ग्राम खेड़ी सालवा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 392, 408, 412, 423, 418, 422, 433, 440, 438, 470, 471, 472 राजकीय/निजि भूमि में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बंध में से परिशिष्ट क के अनुरूप किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः रा.भू.रा. अधिनियम 1956 धारा 131, 136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60(एच) के तहत तहसीलदार पीपाड़ शहर का प्रा. पत्र स्वीकार कर ग्राम खेड़ी सालवा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 392 में से 0.04.00 बीघा, खसरा नम्बर 408 में से 1.05.00 बीघा, खसरा नम्बर 412 में से 0.15.00 बीघा, खसरा नम्बर 423 में से 0.03.00 बीघा, खसरा नम्बर 418 में से 0.07.00 बीघा, खसरा नम्बर 422 में से 0.12.00 बीघा, खसरा नम्बर 433 में से 0.06.00 बीघा, खसरा नम्बर 440 में से 0.06.00 बीघा, खसरा नम्बर 438 में से 0.16.00 बीघा, खसरा नम्बर 470 में से 0.14.00 बीघा, खसरा नम्बर 471 में से 0.09.00 बीघा, खसरा नम्बर 472 में से 0.04.00 बीघा, किस्म गै. मु. रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में दुरुस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को दिये जाते हैं। माफिक परिशिष्ट क के रा. रेकर्ड में उक्त खसरा की किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)  
उपखण्ड अधिकारी

पीपाड़ शहर

दिनांक : 2/8/12

क : रज. / 2017 / 6093-94

1. सीनियर जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालनार्थ।

3. भू. अ. निरीक्षक ..... को पालनार्थ।

4. पटवारी सालवा ..... को रा. रेकर्ड में अमलदरामद व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही हेतु।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)

उपखण्ड अधिकारी

पीपाड़ शहर